संख्या- 38/2025/361/छप्पन-2025-37(सा0)/2020

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 27 मार्च, 2025

विषयः नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा उपकरण (ई0टी0डी0) की स्थापना हेतु उपकरण क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0 36,00,000.00/- (रूपये छत्तीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 393/ना0उ0नि0/सुरक्षा/76जी/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा उपकरण (ई0टी0डी0) की स्थापना हेतु सुरक्षा विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से उपकरण क्रय किए जाने हेतु अनुमानित धनराशि रू0 36,00,000/- (रूपये छत्तीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन हेतु स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा उपकरणों की स्थापना हेतु सुरक्षा उपकरण (ई0टी0डी0) का क्रय सुरक्षा विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से किये जाने हेतु धनराशि रू0 36,00,000.00/- (रूपये छत्तीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन हेतु रू0 36,00,000.00/- (रूपये छत्तीस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करना सुनिश्चित करेंगे।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

5. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन जेम (GEM) की दरों की अनुमन्यता एवं वैद्यता अपने स्तर पर सुनिचित करेंगे।

6. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्राप्त बिलों की शुद्धता एवं धनराशि की गणना के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

7. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

10. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

11. वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि राजकोष में जमा कराई जाएगी।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-04-नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' के नामे डाला जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-427/दस-2024-2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

संख्या- 38/2025/361(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. पुलिस अधीक्षक, वी0आई0 सुरक्षा विभाग, उ0प्र0 पुलिस, 413 डॉ0 बैजनाथ रोड, न्यू हैदराबाद, लखनऊ- 226007 ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.
6. समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।